न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 03/2023 **दायर दिनांकः 20/03/2023**

उनवान

1. कृष्ण गोपाल उर्फ किशन आयु 56 वर्ष पुत्र गणेशलाल
2. गौतमचन्द्र आयु 51 वर्ष पुत्र गणेशलाल जातियान महाजन निवासीगण छीपाबड़ौद जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अनिता बाई पुत्री जगन्नाथ जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
2. कविता पुत्री जगन्नाथ जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
3. चन्द्रमोहन पुत्र जगन्नाथ जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
4. सावित्रि बाई पुत्री जगन्नाथ जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
5. फूला बाई पत्नी जगन्नाथ जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
6. कैलाश पुत्री मांग्या जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
7. गंगा पुत्री मांग्या जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
8. गणेशराम पुत्र मांग्या जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
9. जमना पुत्री मांग्या जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
10. देव पत्नि मांग्या जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
11. नाथी पुत्री मांग्या जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
12. प्रताप पुत्र मांग्या जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
13. किशनी पत्नी छोट्या जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
14. गोपाल पुत्र छोट्या जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
15. पांची पुत्री छोट्या जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
16. मदन पुत्र छोट्या जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
17. श्यामलाल पुत्र छोटूलाल जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
18. छीता बाई पुत्री बिरधा जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:40 IST
Reason: SelfAttested

19. रामलाल पुत्री बिरधा जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
20. बीरमा पुत्र श्यामलाल जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
21. लोकेश पुत्र श्यामलाल जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
22. सुनीता पुत्री श्यामलाल जाति चमार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
23. जनरल मैनेजर अडानी पावर राजस्थान कवाई जिला बारां राजस्थान
24. ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
25. जगदीश पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
26. राधेश्याम पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू
27. धर्मराज पुत्र मोहनलाल जाति अहीर निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू जिला बारां
28. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–
प्रार्थीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय।
अप्रार्थीगण :– अप्रार्थी कम 23 भगवान स्वरूप मंगल
अप्रार्थी कम 24 चन्द्रप्रकाश योगी

निर्णय

दिनाकः /01/2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल दीलोदहाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0 में आराजी खाता संख्या 83 का खसरा न0 1575 का रकबा 2.89 हैक्ट0, खसरा न0 1577 का रकबा 3.68 हैक्ट0 कुल किता 2 का कुल रकबा 6.57 हैक्ट0 आराजी प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 [illegible]-पत्र के साथ सलग्न है जो काबिल गौर है। ग्राम कवाई से गउघाट जाने वाली आम सड़क खसरा न0 1625 में स्थित है इसके उत्तर दिशा में प्रार्थीगण का खेत खसरा न0 1575 स्थित है, आम सड़क एवं खेत खसरा न 1575 के मध्य खेत खसरा न0 1572, खेत खसरा न0 2271/1568, अडाणी पावर प्लांट की पाईप लाईन 2272/1567 एवं खेत खसरा न0 1568 स्थित है। प्रार्थीगण के खेत खसरा न0 1575 में बैलगाड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:40 IST
Reason: SelfAttested

लाने ले जाने, कृषि यंत्र लाने ले जाने व फसल को बुवाई कर, तैयार कर वापस लाने के लिए एक मात्र रास्ता खसरा न01572,खसरा न0 2271/1568 खसरा न0 2272/1567 एवं खसरा न0 1568 के पूर्व दिशा में होकर चला आ रहा था, अप्रार्थी क्रम 1 ता 27 इन खसरा नम्बरान के खातेदार है जिन्होंने रिकॉर्ड में रास्ता नहीं होने से रास्ते को अवरूद्व कर दिया जिससे प्रार्थीगण को खेत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी क्रम 1 ता 27 के अवैध कृत्य को रोका जाना संभव नही है। अस्तु यह प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। विवादग्रस्त आराजीयात का नक्शा ट्रेस प्रार्थना–पत्र के साथ सलग्न है।प्रार्थीगण आज तक उक्त रास्ते पर होकर आते जाते रहे है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में तरमीम करवाना चाहते है जिससे लिए प्रार्थीगण मुताबिक आदेश राशि जमा करवाने को तैयार है। अप्रार्थीगण ने दिनांक माह जनवरी 2023 में रास्ते की भूमि में फसल बोकर प्रार्थीगण के रास्ते को बंद कर देने व निकलने पर लड़ाई–झगड़ा करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को उक्त रास्ते को खुलासा किये जाने बाबत निवेदन किया तो तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम दीलोदहाथी तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू को प्रतिवादी क्रम 28 बनाया है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है, जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थीगण विनयी है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खसरा न0 1575 में आने–जाने हेतु पूर्व से चले आ रहे रास्ते खसरा न0 1572, खसरा न0 2271/1568 ख.न. 2272/1567, ख.न. 1568 की पूर्व दिशा में होकर रास्ता कायम किया जाकर 12 फुट रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी क्रम 28 को प्रदान [illegible] की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर [illegible]गण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 6,8,11,12,14,16 [illegible] 22, 25 [illegible] 27 [illegible]जूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 23 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में खसरा न.

1625, ख.न. 1575, ख.न. 1572. ख.न. 2271/1568 व खसरा न. 2272/1567, ख.न. 1568 स्थित होना स्वीकार है, शेष विवरण जिस तरह लिखे गये हैं अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद न. 3 में वर्णित तथ्य जिस तरह लिखे गये है स्वीकार नहीं है । नक़्शे में कोई रास्ता कायम नही है। प्रार्थना पत्र की मद न. 4 में वर्णित तथ्य जिस तरह से लिखे गए हैं स्वीकार नहीं है । प्रार्थना पत्र की मद न. 5 में वर्णित तथ्य जिस तरह से लिखे गए हैं स्वीकार नहीं है । प्रार्थना पत्र की मद न. 6 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद न. 7 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद न. 8 में वर्णित तथ्य कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद न. 9 में वर्णित तथ्य कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद न. 10 का जवाब बवक़्त बहस मौखिक निवेदन किया जायेगा ।

यह कि अप्रार्थी क्रम 23 की पाईपलाईन खसरा न. 2272/1567 में होकर निकल रही है इस भूमि में से प्रार्थी ने रास्ते की मांग की है, प्रार्थी इस भूमि में से निकलते समय पाईपलाइन को कोई नुकसान नही पहुंचायेगा इस शर्त पर राज्य सरकार के नियमों के तहत मुआवजा राशि प्राप्त कर रास्ता देने पर ही संभव हो सकेगा। प्रार्थीगण को अप्रार्थी क्रम 23 की पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने पर प्रार्थीगण को स्वयं के खर्चे पर पाईपलाईन को दुरूस्त कराना होगा।

अप्रार्थी क्रम 24 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 मैं वर्णित तथ्य ख0नं0 1625 में आम सड़क स्थित होना स्वीकार है, शेष विवरण गलत लिखा होने से स्वीकार नहीं है। अपितु कथन है कि प्रार्थीगण आम रोड खं०नं० 1625 से ख0 नं० 1574 मैं होकर अपने खेत में आ–जा सकते है लेकिन बावजूद अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद नं० 3 अस्वीकार है । प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 से मद नं0 9 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 10 का जवाब बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जावेगा। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस[illegible]। अप्रार्थी क्रम 24 द्वारा विशेष विवरण में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में [illegible]त किया गया है कि आम रोड से उत्तर दिशा में प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 1575 व 1577 स्थित है जिसमें आने जाने हेतु ख0नं0 1572, ख0नं0 2271/1568 ख0नं0 2272/1567 व ख0नं0 1568 स्थित होना अंकित किया गया है जो गलत है क्योंकि मानचित्र के आधार पर आम रोड ख0नं0 1625 से प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 1575

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:40 IST
Reason: SelfAttested

व ख0नं0 1577 पर जाने के लिए बीच में ख0नं0 1574 स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण ने न तो कोई अनुतोष चाहा है ओर न ही पक्षकार बनाया है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मेन्टेनेबल नही होने से खारिज होने योग्य है। धारा 251 "क" मैं प्रावधान है कि अगर किसी को आराजी पर आने जाने का रास्ता नहीं हो तो नया रास्ता दिया जावे एव रास्ता जो नजदीक हो वही दिया जावे। जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी मैं आने जाने हेतु पूर्व में रास्ता विद्यमान होते हुये भी प्रा ०पत्र पेश किया है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर आने–जाने हेतु सुलभ रास्ता ख0 नं० 1574 मैं होकर रहेगा। फिर भी प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। नकल जमाबन्दी ख0नं0 1574 व नक्शा ट्रेस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। अप्रार्थीगण क्रम 24 की आराजी पर होकर प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है एवं आम रोड ख0 नं0 1625 से प्रार्थीगण की आराजी में 1575 ख0.नं0 1577 में आने के लिये अप्रार्थीगण क्रम 24 की आराजी में बीच मे नहीं आती है, मात्र रंजिशवंश अप्रार्थीगण क्रम 24 को परेशान करने की नीयत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। नकल जमाबन्दी व नक्शा– ट्रेस जवाब के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें ।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम 24 विनयी है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।

तहसीलदार अटरू से मौकार रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/1062 दिनांक 20.05.2024 से मौका रिपोर्ट पेश की गई। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अटरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट स्पष्ट नही होने से पुनः मौके पर स्वयं उपस्थित होकर मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/125 दिनांक 13.01.2025 से मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। तहसीलदार अटरू मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 1575, 1577 ग्राम दिलोदहथी की आराजी का मौका देखा गया। उक्त आराजी पर आने जाने हेतु मुताबिक नक्शा लट्टा रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 251 क के तहत आराजी ख0नं0 1572, ख0नं0 2271/1568, ख0नं0 2270/1568 व ख0न0 1568 की पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:40 IST
Reason: SelfAttested

दिशा में होकर रास्ता चाहा गया हैं। मुख्य सडक मार्ग से यह रास्ता लघुत्तम व सुगम है। अतः रास्ता दिया जाना उचित है। रास्ते की लम्बाई 100 मीटर व रास्ते की चौडाई 3 मीटर है।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी खाता संख्या 83 का खसरा न0 1575 का रकबा 2.89 हैक्ट0, खसरा न0 1577 का रकबा 3.68 हैक्ट0 कुल किता 2 का कुल रकबा 6.57 हैक्ट0 तक पहुंच हेतु कोई रिकोर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण वर्षो से ख0नं0 1572, ख0नं0 2271/1568, ख0नं0 2272/1567 एवं खसरा नं0 1568 के पूर्व दिशा में होकर चला आ रहा था लेकिन रिकोर्डेड रास्ता नही होने से अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को अवरूद्व कर दिया गया है। अतः नया रिकार्डेड रास्ता लेना प्रार्थीगण की absolute आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थीगण के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रिकोर्डेड रास्ता नहीं है और नया रास्ता नहीं दिया तो प्रार्थी का खेत पडत रह जायेगा जिससे प्रार्थी के परिवार के पालन पोषण मुश्किल हो जायेगा। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि का DLC दरो से दुगुनी दरो पर भुगतान करने के लिए तैयार है। अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 23 ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थीगण इस भूमि से निकलते समय पाईपलाईन को कोई नुकसान नही पहुचायेंगे इस शर्त पर राज्य सरकार के नियमों के तहत मुआवजा राशि प्राप्त कर रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नही की है।

अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

(I) **वैकल्पिक रास्ता नहीं होना**– प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ख0नं0 1575 तक पहुंच हेतु वर्तमान में कोई भी रिकार्डेड रास्ता विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।

(II) **नितान्त आवश्यकता होनाः–** प्रार्थी के खेत तक पहुंचने और कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए पहुंच मार्ग/रास्ते की नितान्त आवश्यकता है अन्यथा रास्ते के अभाव में और अप्रर्थीगण द्वारा प्रचलित रास्ते को बन्द कर दिये जाने की स्थिति में प्रार्थीगण की भूमि पडत रह जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:40 IST
Reason: SelfAttested

(III) **सबसे लघुतम रास्ता होनाः–** प्रार्थी के खेत ख0नं0 1575 तक पहुंच हेतु रास्ता ख0नं0 1572, ख0नं0 2271/1568, ख0नं0 2270/1568 एवं खसरा नं0 1568 के पूर्व दिशा में

होकर रास्ता दिया जावे तो तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार रास्ते की लंबाई 100 मीटर व चौडाई 3 मीटर होगी।

अतः प्रार्थीगण द्वारा डीएलसी. की दुगुनी राशि जमा कराने की सहमति के आधार पर ग्राम ग्राम दिलोदहाथी की आराजी ख0नं0 1575 रकबा 2.89 है0 तक आने जाने हेतु अप्रार्थी कम 1 ता 27 के ख0नं0 1572, ख0नं0 2271/1568, ख0नं0 2270/1568 एवं खसरा नं0 1568 के पूर्व दिशा में होकर तहसीलदार अटरू द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के स्वामित्व सहखातेदारी की आराजी ग्राम दिलोदहाथी की आराजी ख0नं0 1575 रकबा 2.89 है0 तक आने–जाने हेतु तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम दिलोदहाथी की आराजी ख0नं0 1572, ख0नं0 2271/1568, ख0नं0 2270/1568 एवं खसरा नं0 1568 के पूर्व दिशा के सहारे 3 मीटर चौडा एवं 100 मीटर लम्बा यानी 300 वर्ग मीटर भूमि पर रास्ता कायम कर 0.03 है0 भूमि की **DLC** दर की दुगनी राशि अप्रार्थी कम 1 ता 27 को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:40 IST
Reason: SelfAttested